

**राजस्थान विधान सभा**

**नवम् सत्र**

**कार्य-सूची**

**बुधवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017**

**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**(क) अधिसूचनायें**

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

**वित्त विभाग**

1. अधिसूचना संख्या: एफ.7(1ए)एफ.डी.-1(1)/एफ.सी.एण्ड ई.ए.डी./एफ. आर. बी.एम./2005 दिनांक 15.9.2017, जिसके द्वारा राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-08 दिनांक 30.4.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-92 दिनांक 8.3.2017 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-09 दिनांक 30.4.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-96 दिनांक 8.3.2017 में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-10 दिनांक 30.4.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-99 दिनांक 8.3.2017 में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014-11 दिनांक 30.4.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-115 दिनांक 8.3.2017 में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.2(30)वित्त/कर/2015-12 दिनांक 3.5.2017 जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2017 के दौरान शिविर स्थल पर पंजीयन कार्य सम्पादन हेतु उप रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-13 दिनांक 9.5.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-14 दिनांक 9.5.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-54 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-15 दिनांक 9.5.2017 जिसके द्वारा भूमि नियमन के आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/2017-16 दिनांक 13.5.2017 जिसके द्वारा मनोरंजन कर एमनेस्टी स्कीम, 2017 लागू की गई है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/2017-17 दिनांक 13.5.2017 जिसके द्वारा विलासिता कर एमनेस्टी स्कीम, 2017 लागू की गई है;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.24(8)वित्त/कर/2017-18 दिनांक 18.5.2017 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म 'जट्टू इंजिनियर' को मनोरंजन कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.2(30)वित्त/कर/2015-19 दिनांक 24.5.2017 जिसके द्वारा पंचायत पट्टों को रजिस्टर करने हेतु तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्राधिकृत किया गया है;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2013-20 दिनांक 30.5.2017 जिसके द्वारा मैसर्स जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा इकाई की स्थापना हेतु स्थानीय क्षेत्र में माल के आयात पर प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-21 दिनांक 31.5.2017 जिसके द्वारा मैसर्स एच.पी.सी.एल. रिफाईनरी लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-22 दिनांक 31.5.2017 जिसके द्वारा मैसर्स एच.पी.सी.एल. रिफाईनरी लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित लीज डीड पर देय रजिस्ट्रेशन फीस में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-23 दिनांक 31.5.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-92 दिनांक 8.3.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-24 दिनांक 31.5.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-96 दिनांक 8.3.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
19. अधिसूचना संख्या: एफ.2(23)वित्त/कर/2017-25 दिनांक 1.6.2017 जिसके द्वारा मुख्यमंत्री स्किल सब्सिडी स्कीम के तहत 2.00 लाख रुपये तक के ऋण से संबंधित इन्स्ट्रुमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
20. अधिसूचना संख्या: एफ.24(11)वित्त/कर/2017-27 दिनांक 7.6.2017 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म 'हिन्दी मीडियम' को मनोरंजन कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2017-28 दिनांक 8.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत कम्बाईन हार्वेस्टर यान को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है;
22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(129)वित्त/कर/2011-पार्ट-29 दिनांक 22.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV के भाग (ख) में संशोधन किया गया है;
23. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-30 दिनांक 22.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नीयत उपबंध दिनांक 22.6.2017 से प्रवृत्त किये गये हैं;
24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-31 दिनांक 22.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 विरचित किये गये हैं;
25. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-32 दिनांक 22.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत समरूप माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में [www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in) को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया गया है;
26. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-33 दिनांक 22.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को जो केवल ऐसे कराधेय माल या सेवा या दोनों का प्रदाय करते हैं, ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार से छूट प्रदान की गई है;
27. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-34 दिनांक 22.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत आयुक्त वाणिज्यिक कर, राजस्थान को राज्य कर आयुक्त, राजस्थान के रूप में नियुक्त किया गया है;
28. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014-पार्ट-II-35 दिनांक 28.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;
29. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014-पार्ट-III-36 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;
30. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-37 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-1(3) के अन्तर्गत नीयत कतिपय धाराओं को दिनांक 1.7.2017 से प्रवृत्त किया गया है;
31. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-38 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

32. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-39 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत ब्याज की दर निर्धारित की गई है;
33. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-40 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(1) के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचियों में कर की दरें निर्धारित की गई हैं;
34. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-41 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत छूट प्राप्त माल की विभिन्न अनुसूचियों में कर की दरें निर्धारित की गई हैं;
35. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-42 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत पेट्रोलियम कार्यों एवं कोल बेड मीथेन कार्यों के लिये अपेक्षित माल पर कर की आंशिक छूट प्रदान की गई हैं;
36. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-43 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-9(3) के अन्तर्गत माल की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का निर्धारण किया गया है;
37. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-44 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-54(3) के अन्तर्गत अधिसूचित वस्तुओं के संबंध में अनप्रयुक्त आगत कर का प्रतिदाय देय नहीं होगा;
38. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-45 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-55 के अन्तर्गत सीएसडी द्वारा जमा करवाये गये कर का 50 प्रतिशत प्रतिदाय के दावे के लिये अधिकृत किया गया है;
39. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-46 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत माल और सेवा के अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर प्रतिलोम प्रभार से सशर्त छूट प्रदान की गई है;
40. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-47 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा टीडीएस कटौतिकर्ता को की गई पूर्तियों में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

41. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-48 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत सैकण्ड हैण्ड्स वस्तुओं का व्यापार करने वाले पंजीकृत व्यवहारी द्वारा प्राप्त सैकण्ड हैण्ड वस्तुओं पर छूट प्रदान की गई है;
42. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-49 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत सेवाओं के प्रदाय के लिये कर की दरें निर्धारित की गई है;
43. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-50 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत सेवाओं के प्रदाय के लिये कर की दरें निर्धारित की गई है;
44. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-51 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-9(3) के अन्तर्गत सेवाओं की श्रेणियों, जिनमें प्रतिलोम प्रभार प्रणाली के अन्तर्गत देय कर का निर्धारण किया गया है;
45. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-52 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-7(2) के अन्तर्गत क्रियाकलापों तथा संव्यवहारों को माल की आपूर्ति एवं सेवाओं की आपूर्ति नहीं माना गया है;
46. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-53 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-54(3) के अन्तर्गत सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में अनप्रयुक्त आगत कर का प्रतिदाय देय नहीं किया गया है;
47. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-54 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-55 के अन्तर्गत कुछ संगठनों एवं व्यक्तियों, जोकि उपार्जित अधिसूचित वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं या दोनों पदों पर देय कर के प्रतिदाय के दावों के लिये पात्र माना गया है;
48. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-55 दिनांक 29.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-9(5) के अन्तर्गत सेवाओं की श्रेणियों, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा देय कर का निर्धारण किया गया है;
49. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-56 दिनांक 30.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

50. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-57 दिनांक 30.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत सीएसडी एवं यूनिट रन कैन्टीन्स द्वारा माल की आपूर्ति पर देय कर की छूट प्रदान की गई है;
51. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-58 दिनांक 30.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-10(1) एवं (2) के अन्तर्गत कम्पोजिसन लेवी की पण्यावर्त सीमा, दरों और अपवाद को निर्धारित किया गया है;
52. अधिसूचना संख्या: एफ.11(24)वित्त/कर/2016-60 दिनांक 1.7.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-3 के अन्तर्गत आरजीएसटी एक्ट, 2017 के उद्देश्यों हेतु कतिपय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है;
53. अधिसूचना संख्या: एफ.11(24)वित्त/कर/2016-61 दिनांक 1.7.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-3 के अन्तर्गत आरजीएसटी एक्ट, 2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा दायित्वों के निर्वहन के लिये वाणिज्यिक कर विभाग के कतिपय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ;
54. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-62 दिनांक 1.7.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-40 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;
55. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-63 दिनांक 5.7.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-40 दिनांक 29.6.2017 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;
56. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-64 दिनांक 7.7.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
57. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-66 दिनांक 13.7.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-40 दिनांक 29.6.2017 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;
58. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-67 दिनांक 13.7.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-41 दिनांक 29.6.2017 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;
59. अधिसूचना संख्या: एफ.12(60)वित्त/कर/2017-68 दिनांक 19.7.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 के अन्तर्गत राजस्थान ऑथोरिटी फॉर एडवान्स रूलिंग का गठन किया गया है;
60. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-69 दिनांक 27.7.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-40 दिनांक 29.6.2017 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

61. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-70 दिनांक 27.7.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-41 दिनांक 29.6.2017 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;
62. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-71 दिनांक 27.7.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
63. अधिसूचना संख्या: एफ.2(36)वित्त/कर/2017-74 दिनांक 17.8.2017 जिसके द्वारा बीमार उद्यमों की अचल सम्पदा के हस्तान्तरण के साधन पर देय पंजीकरण की फीस पर छूट प्रदान की गई है;
64. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-75 दिनांक 17.8.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
65. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-76 दिनांक 18.8.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-40 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;
66. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-77 दिनांक 22.8.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-49 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;
67. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-78 दिनांक 22.8.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-50 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;
68. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-79 दिनांक 22.8.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-51 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;
69. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-80 दिनांक 22.8.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-55 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;
70. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-81 दिनांक 30.8.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
71. अधिसूचना संख्या: एफ.12(72)वित्त/कर/2017-82 दिनांक 6.9.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया है;
72. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-83 दिनांक 6.9.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2017 के लिये फॉर्म जीएसटीआर-3बी के विलम्ब से दाखिल करने पर विलम्ब शुल्क से छूट प्रदान की गई है;

73. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014पार्ट-84 दिनांक 13.9.2017 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं दण्ड में छूट के संबंध में विशेष राहत योजना लागू की गई है;
74. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-85 दिनांक 13.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
75. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-86 दिनांक 15.9.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-23(2) के अन्तर्गत कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के द्वारा हैण्डिक्राफ्ट माल की आपूर्ति के संबंध में रजिस्ट्रेशन में सशर्त छूट प्रदान की गई हैं;
76. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-87 दिनांक 15.9.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
77. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-88 दिनांक 15.9.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-3(1) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा-51 द्वारा टीडीएस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है;
78. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-90 दिनांक 21.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
79. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-91 दिनांक 21.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
80. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-92 दिनांक 21.9.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड को भारी जल और नाभिकीय ईंधन की आपूर्ति पर छूट प्रदान की गई हैं;
81. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-93 दिनांक 22.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
82. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-94 दिनांक 22.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-41 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;



83. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-95 दिनांक 22.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-44 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;
84. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-96 दिनांक 25.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-51 दिनांक 29.6.2017 के संबंध में अंग्रेजी अनुवाद बाबत् शुद्धि पत्र जारी किया गया है;
85. अधिसूचना संख्या: एफ.2(42)वित्त/कर/2009-97 दिनांक 27.9.2017 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत अपनी सहायक कम्पनियों के पक्ष में आरवीपीएनएल द्वारा लीज किये गये पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
86. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-98 दिनांक 27.9.2017 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत यूएलबी द्वारा अपनी स्वयं की भूमि के निष्पादन हेतु संशोधित पट्टे/बिक्री के कार्य पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
87. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-99 दिनांक 27.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
88. अधिसूचना संख्या: एफ.2(11)वित्त/कर/2011-100 दिनांक 27.9.2017 जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के खण्ड (डी) की धारा 88 की उपधारा-1 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत को पंचायत पट्टे के पंजीकरण के लिये व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है;
89. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-101 दिनांक 28.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-50 दिनांक 29.6.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
90. अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-103 दिनांक 29.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-21 दिनांक 31.5.2017 में संशोधन किया गया है;
91. अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-104 दिनांक 29.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-22 दिनांक 31.5.2017 में संशोधन किया गया है; एवं
92. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-105 दिनांक 29.9.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है।

2- श्री युनूस खान, परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

**परिवहन विभाग**

1. अधिसूचना संख्या:एफ.6(229)/परि/कर/मु0/11/45774 दिनांक 16.10.2017 जिसके द्वारा जोधपुर नेटवर्क ऑफ पीपुल्स लिविंग विद एच.आई.वी. संस्थान, जोधपुर के एक वाहन को सशर्त कर मुक्त किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)/परि/कर/मु./95/24ई/45360 दिनांक 11.10.2017 जिसके द्वारा ग्रीन टैक्स में बढ़ोतरी की गई है; एवं
3. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)/परि/कर/मु./95/26ए/45346 दिनांक 11.10.2017 जिसके द्वारा वाहनों पर देय सरचार्ज में बढ़ोतरी की गई है ।

3- श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

**ऊर्जा विभाग**

1. अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनियम-117 दिनांक 7.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग राविविआ (वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ऊर्जा क्रय और अधिप्राप्ति प्रक्रिया) विनियम, 2004 (इसके पश्चात् प्रधान विनियम के नाम से उद्धृत किये जाएंगे) में संशोधन किया गया है ;
2. अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनियम-118 दिनांक 7.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग राविविआ (अक्षय ऊर्जा बाध्यता) विनियम, 2007 (इसके पश्चात् प्रधान विनियम के नाम से उद्धृत किये जाएंगे) में संशोधन किया गया है ; एवं
3. अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनियम-119 दिनांक 7.6.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग राविविआ (अक्षय ऊर्जा प्रमण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालन ढांचा) विनियम, 2010 (इसके पश्चात् प्रधान विनियम के नाम से उद्धृत किये जाएंगे) में संशोधन किया गया है।

**(ख) वार्षिक प्रतिवेदन**

श्री राजेन्द्र राठौड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3) (एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।

### 3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री गोपाल कृष्ण, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख', 2017-2018, समिति के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित छठे एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

(II) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2017-2018, समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगी ।

### 4. विधायी कार्य

#### विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

#### (I) राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण  
प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन)  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-35)

(I) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

"राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

#### (II) राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017

राजस्थान विधान सभा सदस्य  
(निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-40)

(I) श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

"लाभ के कतिपय पद उनके धारकों को, राज्य की विधान सभा के सदस्य होने या सदस्य के रूप में चुने जाने से निरर्हित नहीं करते, यह घोषणा करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज  
सचिव

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 24 अक्टूबर, 2017